न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **02/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/7

1. सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के अन्तर्गत सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर जरिए संचालक गजेन्द्र मेहता पिता स्व० श्री वीरचन्द जी मेहता (जैन), उम्र 60 वर्ष, निवासी डी 27, हरिदासजी की मंगरी, होटल ट्राईडेट मार्ग, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा जरिए अध्यक्ष श्री नेमीचन्द धाकड़ पिता सुन्दरलाल जी धाकड़ जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.09.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर, पटवार हल्का फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 37 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालिक महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज हैं। महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर द्वारा संचालित संस्था है जिसके संस्थापक श्री वीरचन्द जी के स्वर्गवास के बाद संस्थान के संचालक श्री गजेन्द्र मेहता पिता श्री वीरचन्द जी मेहता (जैन) [illegible] संस्थान एवं इसकी सभी शाखाओं के कार्य निष्पादन अन्तर्गत आवश्यक हस्[illegible] करने हेतु अधिकृत किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

एवं इस हेतु अधिकार पत्र भी जरिए क्रमांक MAGM/2023–24/78 दिनांक 09–01–2024 को संस्था द्वारा श्री गजेन्द्र मेहता के पक्ष में जारी किया गया हैं और उसी अधिकार के तहत मुझ गजेन्द्र मेहता द्वारा यह वाद पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

2. यह कि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा दोनों ही अलग–अलग संस्थान है और अलग–अलग कार्य क्षेत्र हैं। किन्तु महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा द्वारा सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के अन्तर्गत कार्य करने के दरमियान सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर की ओर से अपने एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के नाम पर वादगत कृषि भूमि अर्थात आराजी नम्बर 37 रकबा 4.00 चार बीघा (0.6475 हैक्टेयर) का 1/4 हक हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए दिनांक 25. 02.2016 को क्रय किया गया था जिससे उक्त हक हिस्सा भूमि सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचन्द पुत्र रोशनसिंह मेहता (जैन) उदयपुर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई और इसी अनुसार वर्तमान में अंकित चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नही हैं।

3. यह कि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा का एक दूसरे से कोई सरोकार नही रहा है, तथा उक्त क्रय की गई कुलिया हिस्सा भूमि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थान के कार्यों के लिये ही काम में आ रही है और इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस भूमि में प्राप्त हुवे खातेदारी अधिकार सर्व सम्मति से लिये गये प्रस्ताव अनुसार सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के पक्ष में त्याग किये जा चुके है जिस प्रस्ताव की प्रति साथ संलग्न हैं तथा प्रतिवादी संस्थान के अध्यक्ष द्वारा भी इस आशय की सहमति वादी संस्थान के पक्ष में दी गई है कि सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर द्वारा गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के नाम अंकित इस भूमि को अपने स्तर पर अपने अकेले के नाम पर करावे तो [illegible] सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। इसलिये प्रतिवादी संस्था के नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा भूमि को वादी संस्था के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा कराये जाने की वादी संस्था अधिकारी हैं।

4. यह कि वादग्रत भूमि प्रारम्भ से ही वादी संस्थान के कब्जे अधिकार एवं उपयोग उपभोग रही है तथा आज भी वादग्रत भूमि वादी संस्थान के ही अधिकार में होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है किन्तु वादग्रस्त हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संस्था का नाम अंकित होने से वादी संस्थान को अपनी उक्त भूमि का समुचित उपयोग उपभोग किये जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी वित्तीय असुविधा भी उत्पन्न हो रही हैं। इसलिये प्रतिवादी संस्था के नाम अंकित हक हिस्सा भूमि को वादी संस्था के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा कराया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में हैं। ताकि वादी संस्था अपनी उक्त भूमि को उचित रूप से उपयोग उपभोग कर सके।

5. यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला है। चूँकि वादगत भूमि वादी संस्थान के अधिकार आधिपत्य में है और वादी संस्थान द्वारा ही उपयोग उपभोग में प्रारम्भ से ली जा रही है और प्रतिवादी संस्थान के नाम दर्ज हिस्से को वादी संस्थान के नाम पर कराये जाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव भी लिया जा चुका है और प्रतिवादी संस्थान के अध्यक्ष द्वारा पृथक से अपनी सहमति भी इस हेतु दे रखी हैं। इसलिये वादी संस्थान उक्त भूमि को भी अपने नाम पर घोषित करवाने की अधिकारी हैं। यदि कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संस्थान के नाम अंकित हिस्सा भूमि को वादी संस्थान के नाम पर घोषित नही किया गया तो इससे वादी संस्थान को होने वाली क्षति का आंकलन मुद्रा में नही किया जा सकेगा।

6. यह कि वाद कारण तारीख 17.01.2025 को पैदा हुआ जब वादी संस्थान ने प्रतिवादी संस्थान के नाम अंकित हिस्सा भूमि को सर्व सम्मति से लिये गये प्रस्ताव अनुसार एवं सहमति के आधार पर वादी संस्थान के नाम पर दर्ज अंकित किये जाने हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी के समक्ष निवेदन किया गया तो उन्होने इसमें असमर्थता प्रकट कर न्यायालय में चाराजोही करने की बात कही, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अंत में निवेदन किया कि वादी के [illegible] व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान [illegible] जावे कि [illegible] वर्णित आराजी में प्रतिवादी गुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का वादी संस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा दोनों ही अलग–अलग संस्थान है और अलग–अलग कार्य क्षेत्र हैं। किन्तु महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा द्वारा सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के अन्तर्गत कार्य करने के दरमियान सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर की ओर से अपने एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के नाम पर वादगत कृषि भूमि अर्थात आराजी नम्बर 37 रकबा 4.00 चार बीघा (0.6475 हैक्टेयर) का 1/4 हक हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए दिनांक 25.02.2016 को क्रय किया गया था जिससे उक्त हक हिस्सा भूमि सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचन्द पुत्र रोशनसिंह मेहता (जैन) उदयपुर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई और इसी अनुसार वर्तमान में अंकित चली आ रही हैं। जबकि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी संस्था के नाम अंकित हक हिस्सा भूमि का वादी संस्था को खातेदार घोषित किया जावें तो मुझ प्रतिवादी को कोई उजर एतराज नहीं है। कुलिया भूमि वादी संस्था के कब्जे अधिकार एवं उपयोग उपभोग में ही है इसलिये वादी संस्था को इस भूमि को अपने नाम पर अंकन करवाने की अधिकारी है। महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर एवं गुरु सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा का एक–दूसरे से कोई सरोकार नहीं रहा है, तथा उक्त क्रय की गई कुलिया हिस्सा भूमि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थान के कार्यों के लिये ही काम में आ रही है और इस भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही होने से मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस भूमि में प्राप्त हूवे खातेदारी अधिकार सर्व सम्मति से लिये गये प्रस्ताव अनुसार सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के पक्ष में त्याग किये जा चुके है तथा प्रतिवादी संस्थान के अ[illegible] भी इस आशय की सहमति वादी संस्थान के पक्ष में दी गई है कि सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर द्वारा गुरू सौभाग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के नाम अंकित इस भूमि को अपने स्तर पर अपने अकेले के नाम पर करावे तो इसमें गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। इसलिये प्रतिवादी संस्था के नाम अंकित हक हिस्सा भूमि का वादी संस्था को खातेदार घोषित किया जावें तो मुझ प्रतिवादी को कोई उजर एतराज नही है। अंत में निवेदन किया कि वादी संस्थान की इस्तदुआ है जो स्वीकार होकर कथन है कि प्रतिवादी संस्थान के नाम पर दर्ज कुलिया हिस्सा का वादी संस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संस्थान का नाम हटाया जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं गजेन्द्र मेहता पिता वीरचन्द मेहता द्वारा मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा फतहनगर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 158 प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 पेज 1 से 8 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर पेज 1 से 8 प्रदर्श 2ए, गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचडा द्वारा जारी प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 प्रदर्श 3, गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचडा द्वारा जारी सहमति पत्र दिनांक 10.01.2025 प्रदर्श 4, वीर चन्द्र मेहता का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 5 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 5ए, महावीर अम्बेश गुरु महाविद्यालय फतहनगर द्वारा जारी अधिकार पत्र एमएजीएम/2023–24/78 दिनांक 09.01.2024 प्रदर्श 6 पेश किये। प्रतिवादी का स्वीकारात्मक जवाब दावा होने से साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही करना चाहा।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश हिस्सा 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 2ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय द्वारा उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 को क्रय की गई थी। परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में सेहवन से सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के अन्तर्गत सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र श्री रोशनसिंह जी मेहता अंकित किया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय यही नाम अंकित कर दिया गया। वादी के कथनानुसार वीरचन्द पुत्र रोशनसिंह का देहान्त हो गया। वर्तमान संचालक गजेन्द्र मेहता पिता वीरचन्द है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन से जाहीर हुआ कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर संस्थापक महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर जिला उदयपुर के है। उक्त भूमि के क्रय का प्रतिफल (आईसीआईसीआई बैंक के चैक क्रमांक 069737 से 069741 तक दिनांक 25.02.2016) भी महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर जिला उदयपुर द्वारा दिया गया। गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के समय उपस्थित भी नही था एवं ना ही वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई प्रतिफल विक्रेता को दिया गया। जिसे इनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इसका नाम केवल मात्र सेहवन से महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर द्वारा अपने नाम के आगे प्रबंध में संचालित अंकित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के संस्थापक द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त जमीन से हमारा कोई लेना देना नही है। महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर द्वारा क्रय की गई थी तथा उनके द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त भूमि से हमारा नाम हटाया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर द्वारा क्रय की गई थी। जो सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर के प्रबन्ध में संचालित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश हिस्सा 1/4 गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज है के बजाय सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश हिस्सा 1/4 गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के अन्तर्गत सम्यक् ज्ञानपीठ उदयपुर के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश गुरू महाविद्यालय फतहनगर जरिए संचालक गजेन्द्र मेहता पिता स्व० श्री वीरचन्द जी मेहता (जैन), उम्र 60 वर्ष, निवासी डी 27, हरिदासजी की मंगरी, होटल ट्राईडेट मार्ग, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा जरिए अध्यक्ष श्री नेमीचन्द धाकड़ पिता सुन्दरलाल जी धाकड़ जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 02/25 (वाद)
GCMS No. – 2025/7

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर एवं गुरू सौभाग्य ज्ञानोदय ट्रस्ट फलीचड़ा के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश हिस्सा 1/4 गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज है के बजाय सम्यक ज्ञानपीठ उदयपुर के प्रबन्ध में संचालित महावीर अम्बेश हिस्सा 1/4 गुरू महाविद्यालय फतहनगर संस्थापक वीरचंद पुत्र रोशनसिंह मेहता जैन सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:00 IST
Reason: SelfAttested